संख्या-496/2020/937/22-2-2020-ई-17(363)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चरन सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25709/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-14.10.2020) दिनांक-14.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चरन सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, ग्राम-नन्ही नगला, थाना-सासनी, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। बंदी ने पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर दिनांक 01.09.2001 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से अशोक एवं श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या कर दी व 5 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-435/2002 भा0द0सं0 की धारा-302,307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 23.04.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2020 तक 16 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा अपराध करने में सक्षम होने, समयपूर्व रिहाई से समाज पर शान्ति/कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी कुंवरपाल के रामप्रसाद पर रू0-5000 उधार थे। वादी के पुत्र वीरेन्द्र द्वारा रू0-1600/- काटकर बाकी रूपये वापस मांगने पर बंदी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से अशोक एवं श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या करने व 5 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 55 वर्ष तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चरन सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-10800/2019 एवं डायरी संख्या-40250/2019 चरन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चरन सिंह (बन्दी संख्या-10587) पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी जनपद-हाथरस के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-496/2020/937(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- हाथरस।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-496/2020/937/22-2-2020-ई-17(363)/2020

दिनांक 17 नवम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चरन सिंह (बन्दी संख्या-10587) पुत्र श्री हरपाल सिंह, ग्राम-नन्ही नगला, थाना-सासनी, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। बंदी ने पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर दिनांक 01.09.2001 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से अशोक एवं श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या कर दी व 5 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-435/2002 भा0द0सं0 की धारा-302,307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 23.04.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2020 तक 16 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा अपराध करने में सक्षम होने, समयपूर्व रिहाई से समाज पर शान्ति/कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी कुंवरपाल के रामप्रसाद पर रू0-5000 उधार थे। वादी के पुत्र वीरेन्द्र द्वारा रू0-1600/- काटकर बाकी रूपये वापस मांगने पर बंदी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से अशोक एवं श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या करने व 5 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 55 वर्ष तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चरन सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in